खंड—११ संख्या—२१

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(भाग—२—कार्यवाही-प्रश्नोत्तर रहित)

शनिवार, तिथि १५ मार्च, १९७५ ई०।

विषय-सूची।

	पृष्ठ
लोकायुक्त के प्रतिवेदन पर विचार-विमर्श के सम्बन्ध में नियमापत्ति (अस्वीकृत)	१—३
समान्य लोकहित के विषय पर विमर्श : बिहार लोकायुक्त के प्रतिवेदन पर विचार-विमर्श (क्रमशः)	३—९
उपाध्यक्षीय नियमन।	९—११
सामान्य लोकहित के विषय पर विमर्श : बिहार लोकायुक्त के प्रतिवेदन पर विचार-विमर्श (बातचात में समाप्त)	११—३०
चर्चाएं :	
क। गया जिलान्तर्गत सिंधिया ग्राम के एक हरिजन की हत्या।	३०—३१
ख। एक नेपाली कांग्रेसी नेता को बिहार में आने पर रोक।	३१—३२
अत्यावश्यक लोक-महत्व के विषय पर ध्यानाकर्षण एवं उनपर सरकारी वक्तव्य :	
क : मधुबनी जिला में किसानों को ईख के बकाये का भुगतान।	३२—३६

कटौती प्रस्ताव : राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन पर विचार-विमर्श।

*श्री रामदेव सिंह—सभापति महोदय, जो मांग सदन में पेश की गयी है, उसका मैं समर्थन करते हुए कहना चाहता हूं कि सारण जिला के मसरख प्रखंड में सिचाई की कोई व्यवस्था नहीं हैं। बिजली और नलकूप की काफी कमी है। इसलिए बिजली और सिचाई की व्यवस्था वहां की जाय।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं, कि बाढ़ के कारण हमारे यहां काफी क्षति हुई है। इसलिए वहां लेवी की वसूली बन्द की जाय। क्योंक लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा है हमारे प्रखँड में सड़क भी खराब है सड़क की मरम्मत की जाय। लोकल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सड़के भी खराब हैं जिसपर चलने लायक नहीं है। बरसात के पहले मरम्मत किया जाय। आर० ई० ओ० द्वारा हमारे यहां एक भी रोड का पक्कीकरण नहीं हुआ है। इसलिए रोड का पक्कीकरण किया जाय।

हमारे यहां स्कूल भी नहीं है, जिसके कारण लड़के गाछ के नीचे पढ़ते हैं। इसलिए स्कूल के भवन बनाये जायें, और जो भवन टूटे हुए हैं, उन्हें मरम्मत की जाय।

बरवाघाट पर घोघरी नदी पर पुल की जरुरत है। क्योंकि बहुत से लोग रोज आते-जाते हैं। घमौती में भी पुल बनाया जाय। नेवारी चौर में र ौली बांध पर पुल बनाया जाय।

मसरख प्रखण्ड में रसौली ग्राम के नेवारी चेवढ़ का बांध की मरम्मती तथा जल निकासी की व्यवस्था आवश्यक है। मुझे घर पर ही १५ नवम्बर को जहर दिया गया लेकिन आजतक उसपर कारंवाई नहीं हुई है। निम्नलिखित सड़कों की मरम्मती कराना अति आवश्यक है। क्योंकि बाढ़ स खराब हो गयी है इससे जनता को असुविधा हो रही है। अत: इसे शीघ्र मरम्मत कराई जाय। बरौली बनढ़ा घाट रोड सतजोढ़ा बाजार पर जो पक्कीकरण का थोड़ा सा कार्य कराया गया है उसको बढ़ाकर पकड़ी स्कूल तक पक्कीकरण करायी जाय। वकबा सह परसा रोड को पानापुर तक बढ़ाकर मिट्टी कार्य कराया जाय। राजो पट्टी सोहागी घाट रोड, सलीमापुर बनियापुर रोड का जो अधूरा काम है उसको पूरा किया जाय। मशरक पोखरल रोड को भी बनाया जाय। इसके बाद मशरक सहाजितपुर रोड को भी जल्द बनवाये जी

व्यवस्था की जाय। तरैया से शाहपुर तक और फिर मशरक से गगोली सह एकमा, सोहागपुर रोड, तथा उसरी से कामता बाजार जड़क पर सरकार को आर० ई० ओ० के माध्यम से जल्द बनवाने की व्यवस्था करनी चाहिये।

सभापति—(श्री राधानन्दन झा) आप का समय हो गया, अब आप बैठ जायँ।

श्री बैद्यनाथ दास—सभापति महोदय, सदन में जो मांग पेश की गयी है उसका समर्थन करते हुए मैं कुछ बातें अपने निर्वाचन क्षेत्र के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। आज समूचे बिहार-राज्य में ३१ जिला हैं, जिसमें संथालपरगना ही रांची के बाद सबसे बड़ा जिला है। इसका पुनर्गठन होना चाहिये। पुनर्गठन नहीं होने से आज इसे विकास के काम में जितना पैसा मिलना चाहिए, नहीं मिल पाता है। यदि तीन जिला यहां हो गया रहता तो, किसी काम के लिए जहां तीन पैसा मिलता, आज उसके बदले एक ही पैसा मिल रहा है। यह बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है। विकास के काम के लिये पैसा देने का जो क्राइ-टेरिया है, उसमें इसको बहुत कम मिलता है। वहां सिचाई का प्रबन्ध बिल्कुल ही नहीं है। वहां अजय जलाशय योजना पुनासी, १९५८ में साढ़े चार करोड़ के बजट से शुरु किया गया वह आज तक पूरा नहीं किया गया है। इसको पंचम पचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में ही रखना चाहिये था। सरकार इसे जल्द से जल्द कार्यान्वित कराये। जसीडीह में रबर फैक्टरी खुलनेवाली है। सरकार को चाहिये कि इसपर मुस्तैदी से काम कराये, ताकि यह जल्द से जल्द शुरू हो जाय, जिससे कुछ बेकार लोगों को रोजी मिले। हालांकि जमीन अर्जित की जा चुकी है। माइनर इरीगेशन के मंत्री जहां के होते हैं, वहीं इसका काम होता है मेरे यहां कुछ भी नहीं हो रहा है। अधीक्षण अभियन्ता तथा कार्य-पालक अभियंता का कार्यालय भी उठकर चला गया है। देवघर प्रखंड में ढाढी दूलमपुर में छिलका जो शुरु किया गया है, उसके अधूरा रहने से लोगों को नुकसान पहुंच रहा है। सरकार को चाहिये कि जल्द पूरा कराये। इसके बाद शिव गंगा की सफाई के लिये जो ११ लाख की मंजूरी हुई उसे अफसर और ठीकेदार मिलकर खा रहे हैं, और काम नहीं हो रहा है। सरकार को चाहिये कि जल्द से जल्द इसे पूरा करा दें। अजय नदी के किनारे-किनारे तीन-चार बबहु लिफ्ट इरीगेशन का प्रबन्ध करा दिया जाय, तो किसानों को बहुत लाभ होगा। संथालपरगना के बारह तेरह सौ स्कूल में से सिर्फ दो तीन सौ का

अपना मकान है, बाकी को नहीं है। इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये। देवघर में अभी एक ही लेडी डाक्टर हैं जिससे कठिनाई होती है। अतः वहां एक और लेडी डाक्टर का प्रबन्ध किया जाय, जिससे आनेवाले यात्रियों को सुविधा हो।

श्रीमती राजपति देवी—सभापति महोदय, माननीय सदस्य श्री रामदेव वर्मा की कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुये मैं सरकार का ध्यान पूर्व और पश्चिमी चम्पारण की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं। इसमें दो प्रखंड हैं, मेहसी और मधुबन। मेहसी में गत बाढ़ के समय बाँध टूट जाने से काफी क्षति हुई है और वहां की जनता आज भी बांध पर ही शरण लिये हुई हैं। अतः इस ओर सरकार का ध्यान अविलम्ब जाना चाहिये। मेहसी का सात पंचायत और मधुबन का १४ पंचायत का नामोनिशान तक नहीं रह गया है लेकिन सरकार के तरफ से मेहसी में सिर्फ २२०० रुपये और मधुबन में तेरह हजार पचपन रुपये की सहायता दी गयी। क्या इससे वहां की जनता को राहत मिल सकती है ? इसलिये मैं अनुरोध करती हूं कि दोनों प्रखंडों की जनता को राहत पहुंचाने के लिये सरकार तत्काल ठोस कदम उठाये।

सभापति महोदय, मधुबन प्रखण्ड में खुदादपुर एवं मनपुरवा बाँध टूट गया है। अतः उन बांधों को बंधवाने के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए, ताकि वहां की जनता को क्षति का सामना नहीं करना पड़े। इसलिये मैं सरकार से अनुरोध करती हूँ कि इन दोनों बांधों को जल्द से जल्द बंधवा दे।

जहां बाढ़ से सब कुछ दह गया है सिर्फ बालू ही बालू है। वहां बालू फांककर तो लोग नहीं जियेंगे। वहां पर कोई राशन की व्यवस्था नहीं है। अगली फसल जब तक वहां नहीं हो जाय, तब तक कम-से-कम सरकार को राहत का इन्तजाम करना चाहिए। वहां की जनता भुखमरी से तबाह हो रहा है। वहां जितना चापाकल था वह बाढ़ से धंस गया है। कुंआ भी बर्बाद हो गया है। इधर कोई चापाकल नहीं गड़वाया गया है, जिसके चलते वहां की जनता को पानी पीने की कठिनाई हो रही है। मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि वहां जल्द से जल्द चापाकल गड़वा दिया जाय, ताकि वहां की जनता को राहत मिल सके।

१९७२ से मैं इस सदन की सदस्या हूं। यहां जितने लोग बैठे हुए हैं सबों के क्षेत्र में ० किलोमीटर या ७ किलोमीटर आर०ई०ओ० द्वारा सड़क बनायी

गयी है। हमारे क्षेत्र में एक भी कीलोमीटर सड़क नहीं मिली है। इस सम्बन्ध में मैं जब कहती हूँ तो कहा जाता है, कि पैसा नहीं है। मैं कहना चाहती हूँ कि क्या हमारे क्षेत्र को सौतेला जैसा समझते हैं? हमारे यहां जो पी०डब्लू०डी० रोड है उसके सम्बन्ध में इस सदन में कई बार चर्चा मैंने की है। लेकिन आज तक यहां पर रोड नहीं बन सका। पुन नहीं बन सका। इसलिये मैं सरकार से अनुरोध करती हूं, कि यहां पर रोड बनाने की कृपा करें।

एक रोड मधुबन से होते हुए माया वाला कोठी होते मीनापुर रोड में मिल जाती है। उसके लिए कई बार मैंने चर्चा की, लेकिन सरकार का कोई ध्यान इस पर नहीं गया। एक कहावत है—

अमीरी क्या जाने, गरीबी काटनेवाले,

दर्द झोपड़ा क्या जाने, महल में रहनेवाले।

इसलिये सरकार से मैं अनुरोध करती हूं कि वहां की सड़क पर अविलम्ब ध्यान दें, ताकि वहां की जनता को आने-जाने में जो कठिनाई है, वह दूर हो सके। वहां की जनता हमेशा हमसे कहती है, कि आप सदन में इसके लिये मांग नहीं करती हैं इसलिये सरकार कुछ नहीं करती है। मैं इस प्रश्न को सदन में बार-बार उठायी, फिर भी सरकार इसपर ध्यान नहीं देती है। मैं फिर से आपके माध्यम से सरकार से मांग करती हूं कि इसको जल्द-से-जल्द पूरा किया जाय।

अब मैं दारोगा के विषय में कहना चाहती हूँ। पुलिस मंत्री, आई०जी० पर शासन करते हैं, आइ०जी०, एस०पी० पर शासन करते हैं, एस०पी० दारोगा पर शासन करते है। यदि मंत्री का शासन आई०जी० पर ठीक से होगा तभी आइ० जी० का शासन एस०पी० पर ठीक से होगा और तब एस०पी० का शासन दारोगा पर ठीक से होगा। हमारे यहा बराबर डकैती हो रही है, महीने में दो-दो बार डकैतियां हो जाती है और पुलिस उसे रोकने में असफल रही है। अतः इसकी ओर भी सरकार को ध्यान दिलाना चाहती हूं।

*श्री रामेश्वर पासवान—सभापति महोदय, सरकार के सामान्य प्रशासन की मांग का समर्थन करते हुए तथा कटौती के प्रस्ताव का विरोध करते हुए मैं कुछ बातों की चर्चा करना चाहता हूं। माननीय सदस्य श्री शर्मा जी ने लॉ एण्ड

ऑडर तथा जे०पी० आन्दोलन की काफी चर्चा की है। बात भी सही है। इस प्रदेश की जो स्थिति है, विहार की ही नहीं बल्कि विहार के चलते सारे हिन्दुस्तान की स्थिति में डवांडोल की स्थिति आ गयी है। सारा जन-मानस लॉ एण्ड ऑर्डर को लेकर आज चिन्तित हो चुका है कि क्या करना चाहिए ? जब तक सब लोग जागरुक नहीं होते हैं, केवल सरकार पर भरोसा करेंगे तो शान्ति से, चैन से नहीं रह सकते हैं। जिस राज्य में चैन मिले और आधा पेट खाना तो मैं उस प्रशासन को स्वच्छ प्रशासन कह सकता हूँ। अभी जे० पी० के आन्दोलन से सभी लोग अवगत है। यह प्रतिक्रियावादियों का आन्दोलन है। धनीमानी लोगों का आन्दोलन है, पूंजीपतियों का आन्दोलन है। वे ही लोग इस आन्दोलन में साथ दे रहें हैं। जो बटाईदारी के खिलाफ हैं, वे इस आंदोलन के साथ हैं। जे०पी० के आन्दोलन से गरीबी दूर होगी, बेकारी दूर होगी, इसको मैं नहीं मानता हूं। इनके आन्दोलन से भ्रष्टाचार तो क्या दूर होगा शिष्टाचार भी दूर हो गयी। सब लोग जानते हैं कि इसमें कौन लोग हैं। क्या इसमें हरिजन लोग हैं ? माईनोरिटी के लोग हैं, आदिवासी और गरीबी लोग हैं ? नही है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि इस आन्दोलन में ये लोग नहीं हैं। जामताड़ा के बारे में कहा गया कि वहां जे०पी०आंदोलन के चलते ऐसा हुआ लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि वहां जे०पी० का आन्दोलन नहीं था। आदिवासियों की जमीन को वापस देने के सम्बन्ध में जो हमने निर्णय लिया था, उसमें हमारी कमजोरी आ गयी, और उसी के चलते वहां ऐसी घटना हुई, जिसका नेतृत्व सुमरुई साहब ने की थी। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का जो भी डिसिजन हुआ है, यदि उसको सही रुप में इम्पलीमेंट नहीं किया जायगा तो कभी शान्ति आनेवाली नहीं है। हमारा सदन ने जो निर्णय लिया है उसको असली जामा नहीं पहनाते हैं, आपके जो अफसर लोग हैं उनमें भी काफी खामियां हैं। उनको चुस्त और दुरूस्त होना चाहिए। उनके रग-रग में जो लालफीताशाही और नोकरशाही की भावना भरी हुई है,उसको दूर करना होगा।

मोतीहारी के डी०एम०के बारे में अब मैं कहना चाहता हूं। पहले भी इनके संबंध में, कुछ विधायकों ने चर्चा की है कि मोतीहारी के सिविल सर्जन ने रिपोर्ट दी है कि ये पागल हो गये हैं। यदि उनकी रिपोर्ट को सही नहीं भी माना जाय, तो उसको मेडिकल बोर्ड द्वारा जांच कराना चाहिए। जहां का डी० एम० पागल होगा, वहां का प्रशासन कैसा हो सकता है।

सभापति महोदय, अब मैं बेकारी समस्या की बात कह रहा हूं। सरकार ने नीति बनायी है कि ५५-५८ वर्ष में रिटायर कर देंगे। लेकिन जो ५५-५८ क्रौस कर जाते हैं, उनको एक्सटेन्सन दे दिया जाता है। कभी आप एक्सटेन्सन आई०जी० को देते हैं, और कभी आप सेक्रेटरी को एक्सटेन्सन देते हैं। अभी भी आपने आई०जी० को एक्सटेन्सन दिया है। ये रिटायर कर जाते हैं तो आप इनको निगम का अध्यक्ष भी बना देते हैं। माननीय वित्तमंत्री ने अपने भाषण के दौरान जब जवाब दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये लोग सफिसियेन्ट है। इस लिये इनको एक्सटेन्सन दिया गया है। इसका माने हुआ कि जितने भी और लोग हैं, सब इन इनसफिसियेन्ट हैं। इससे इनके पशासन पर क्या असर पड़ेगा ? इसे आप सोच सकते हैं। पुलिस विभाग में जिसको आई० जी० का पद मिलना चाहिये था उसको नहीं मिला। उसके जगह अभी वर्त्तमान में जो आई०जी० है, वही बर्करार है। चूंकि उनको एक्सटेन्सन दे दिया गया है।

सभापति महोदय, मैं दूसरी बात हरिजनों के बारे में कहना चाहता हूं। जहांतक हरिजनों के रिजर्वेशन का सवाल है, उनके विद्यार्थियों के स्टाईपेन्ड का सवाल है, जब वे कालेज से निकल जाते हैं, तब उन्हें स्टाईपेन्ड दिया जाता है। इस तरह से आप सोच सकते हैं कि उन्हें कितनी सहायता इस सरकार के द्वारा मिलती है।

अन्त में, मैं लॉ एण्ड ऑर्डर की बात कहना चाहता हूं। ये ऐसे लोगों को लाईसेंस देते हैं जो कि डिमोन्सट्रेशन में, आन्दोलन में तथा कभी अनशन में भाग लेते हैं। एस०डी०ओ० को इस सम्बन्ध में कहा जाता है तो वे सुनते नहीं है। जिसको आप मिशा में गिरफ्तार करते हैं, उसे तुरंत एक दिन पश्चात् ही जमानत दे देते हैं, ऐसे-ऐसे तो इनके प्रशासन में कर्मचारी है। इतना ही कह कर मैं अब समाप्त करता हूं।

*श्री रामजी प्रसाद सिंह—सभापति महोदय, आज जो जेनेरल एड-मिनिस्ट्रेशन पर जो कटौती का प्रस्ताव श्री शर्मा ने पेश की है, उसका मैं समर्थन करता हूं। इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन इसलिये करता हूं कि आज पूरे बिहार राज्य में प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। आज प्रशासन कैसे समाप्त हो गया, इसका मैं एक दो उदाहरण आपके सामने दे रहा हूं। आज कल ट्रेन में आये दिन डकैती होती है, ट्रेन से महिलाओं को उतार कर बेईज्जत किया जाता है। लेकिन इस सरकार की

प्रशासन चुपचाप देखती है। ट्रेन में पुलिस को रखा जाता है, गार्ड भी रहते हैं, उसके बावजूद भी हाल ही में गया लाइन में डकैती हो गयी।, सुनने में आता कि बसें खड़ी-करके लूट ली जाती है, डकैती होती है लेकिन सरकार इसको रोकने में नाकामयाब रही है। हाल ही में पटने में एक महिला जो रिक्शे पर चली जा रही थी, उसे एक गाड़ीवाले ने अपनी गाड़ी रोककर गाड़ी में बैठा लिया। इसतरह से तो आपकी प्रशासन है। अभी यही कहा जाता है कि जय प्रकाश का आन्दोलन चल रहा है, और माननीय मंत्री ने भी अपने लम्बे-चौड़े भाषण में भी कहा कि सारा प्रशासन जय प्रकाश के आन्दोलन में व्यस्त है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि जे० पी० का आन्दोलन एक साल से चल रहा है, उसके पहले इनकी प्रशासन कहां थी ? इनका प्रशासन इतना खराब हो गया हैं, इनकी पुलिस इतनी खराब हो गयी है कि इनको सी० आर० पी० बुलाना पड़ता है। आपको अपने बिहार के पुलिस पर विश्वास नहीं हैं। लेवी वसूली में भी आप सी०आर०पी० को ही रखते हैं। जो गरीब किसान है, जिनके पास अपने खाने भर भी गल्ला नहीं उपजाता है, या जो बैलगाड़ी पर लादकर कहीं एक या दो बोरा ले जाते हैं, उनसे भी आपने जबर्दस्ती लेवी वसूल की है। आपके अफसरों ने जबर्दस्ती उन्हें लेवी देने को बाध्य किया है। लेकिन आपका प्रशासन चुपचाप देख रहा है।

सभापति महोदय, आये दिन सदन मे यह बार-बार चर्चा होती है, कि सचिवालय में संचिका गायब कर दी जाती है। संचिका कैसे गायब हो जाती है, इसका पता सरकार नहीं लगाती है; और मंत्री महोदय भी चुपचाप बैठे हुए हैं।

मैं आपको एक नमूना देता हूं कि इनके आदेश का पालन नहीं हुआ है। इसका दृष्टांत यह है कि सिंचाई विभाग के कनीय अभियन्ताओं की बरीयता सूची तैयार करने के सम्बन्ध में तीन बार आदेश जारी किया गया। एक आदेश १६-३-७१ को जारी किया गया, दूसरा १९७३ मे जारी किया गया, और तीसरा आदेश १९७४ मे जारी किया गया है। लेकिन आजतक उसका पालन नहीं किया गया है। मैं कहता हूं कि इनका प्रशासन बिलकुल निकम्मा है। अभी कुछ देर पहले इस सदन में बहुत हंगामा हुआ क्योंकि इनके चीफ सेक्रेट्री, अफसर गैलरी में नहीं थे। आप दुनिया भर के नियम बनाते जाते हैं लेकिन काम कुछ नहीं होता है। आपने नलकूप निगम बनाया है, जिसपर लाखों खर्च हो रहा है।

लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा है,। इसके अध्यक्ष श्री हरनन्दन ठाकुर हैं, जो टी०ए० के रूप में हजारों हजार रुपये ले रहे हैं। लेकिन आप कहते हैं कि फंड नहीं है तो कैसे नलकूप लगाये ? इस तरह बिजली विभाग को लीजिये। ट्रांसफार्मर के नहीं भेजने के कारण सारे नलकूप बेकार पड़े हुए हैं। हमारे भोजपुर में कितने नलकूप ट्रांसफर्नर के अभाव में बेकार हो चले हैं। आप जल्द इसकी व्यवस्था करें।

सभापति (श्री राधानन्दन झा)—अब आप खत्म करें।

श्री रामजी सिंह— जहांतक राशन की बात है, आप पटने शहर में प्रति व्यक्ति चार किलो के हिसाब से गेहूं देते हैं। लेकिन देहाती क्षेत्र में कुछ भी अनाज नहीं देते हैं। आप सारा-का-सारा अनाज देहातों से उठा लेते हैं, लेकिन देने के समय उनको कुछ नहीं देते हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर ने कहा, कि कोई संचिका यदि पड़ी रहेगी तो कारंवाई करूंगा। मैं एक उदाहरण देता हूं कि हेल्थ डिपार्टमेंट में एक ट्रांसफर की फाईल ग्यारह महीने से पड़ी हुई है। बेचारे की मां बीमार है। उनके ट्रांसफर की संचिका बढ़ी, तो एक जगह ग्यारह महीने से पड़ी हुई है।

सहार प्रखण्ड में वहां की जनता ने राजवाहा के लिये अपनी जमीन मुफ्त में दे दी, और रजिस्ट्री भी कर दी। उसकी रजिस्ट्री के बाद भी इस सरकार ने उस राजवाहे को खुदाई का काम शुरू नहीं की है। सरकार इस ओर ध्यान देकर जल्दी इसकी खुदाई करे।

अन्त में, यह कहना चाहता हूं कि हजारीबाग के डी०सी०,एन०सी०डी०सी०से मिलकर लाखों रुपये का कोयला गोलमाल करके बाहर भेज रहे हैं। सरकार उनपर कारंवाई करे।

*श्री मदन बेसरा—सभापति महोदय, सरकार ने जो मांग पेश की है, उसका मैं समर्थन करता हूं। समर्थन करते हुए मैं अपने जिले संथाल परगना की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। हमारे जिले में एक बहुत पुरानी सड़क है, जिसका नाम दुमका रामगढ़ सड़क है। उस सड़क की हालत बहुत खराब हो गयी है। पहले उस सड़क पर मोटर गाड़ियां भी चलती थी और दुमका से रामगढ़ जाने का यही एकमात्र सड़क है।

सभापति महोदय, सिर्फ २० मिनट के रास्ते में दो दिन लग जाता है ऐसी स्थिति उस सड़क की है। इसलिये मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि उस सड़क पर ध्यान दें। मैं इस सड़क के संबंध में कई बार ध्यानाकर्षण के जरिये सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। मन्त्री महोदय मिले लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। वहां पत्थर काफी तायदाद में है, अतः सड़क बनाना आसान है।

हमारे छोटानागपुर-संथालपरगना में सिंचाई का एक भी प्रबन्ध नहीं हुआ है। संथालपरगना में एक मयूराक्षी डैम है, जिससे सारे सिंचाई की सुविधा बंगाल को मिलती है। जहांतक बिजली का सवाल है। वह हमें नेगलिजिबुल मिलती है। बिजली भी बंगाल को ही मिलती है।

मैं १९५२ सदस्य हूं—बराबर सुनता रहा कि उत्तर बिहार में बाढ़ का प्रकोप रहा और उसके लिये सरकारी सहायता मिली। लेकिन इस सरकार से हमारे छोटानागपुर और संथालपरगना को किसी भी तरह की सहायता नहीं मिलती है। हम जहां थे, वहीं अभी भी है। एक कदम भी हम आगे नहीं बढ़े हैं। अगर सरकार का इस तरह सौतेली मां सा व्यवहार चलता रहा, तो आपसे छोटानागपुर संथालपरगना निकल जायगा।

कुछ कम्युनिस्ट सदस्य—तब कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं छोड़ देते हैं।

श्री मदन बेसरा—छोड़ देंगे परवाह नहीं है। मैं कह रहा था कि हमारे छोटानागपुर और संथालपरगना में सिंचाई और बिजली की तो यही व्यवस्था है। अब मैं हरिजन आदिवासी की नौकरी के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। हरिजन आदिवासी के लिये रिजरवेशन है, लेकिन एक भी हरिजन आदिवासी को नौकरी नहीं मिलती है।

श्री आजम—सभापति महोदय, महात्मा गांधी ने कहा था—

There must be decontralization of Economic, Socio and this and that Power.

कांग्रेस प्रशासन ने तीन चीज पैदा की। पहला लोक नायक जिन्दाबाद, जिनकी सारी ताकत मिलनी चाहिये ताकि वे अगस्त मुनि की तरह सारे समुन्द्र पी जांय। दूसरा लोकायुक्त जिन्दाबाद। इनको बड़ी ताकत मिलनी चाहिए। तीसरे हैं लोकप्रिय जनाब गफूर साहब इनका कहना है कि इनकी भी बड़ी ताकत मिलनी चाहिए। चौथा है, मुख्य सचिव श्री शरण सिंह इनका कहना है

कि इनको पावर चाहिए जिससे ये कार्रवाई करें। इसलिए कि उनके आफिसर उनकी बात नहीं मानते हैं। सभापति महोदय, पूर्णिया जिला इस राज्य का मुकुट है। पूर्णियां जिला महानन्दा से कोशल्या तक है, और गंगा के किनारे बसा हुआ है। पूर्णिया जिला बंगला देश की सरहद पर भी पड़ता है। पूर्णियां जिला फर्स्ट लाईन और डिफेंस है जहां से थरमल पावर स्टेशन हटा लिया गया। वहां पर मेडिकल कालेज खोलने की बात थी, लेकिन वह नहीं खोला गया। पूर्णियां को कमिश्नरी बनाने की बात थी, लेकिन कमिश्नरी भी नहीं बनाया गया। अररिया सबडिविजन को जिला बनाने की बात थी लेकिन उनको जिला नहीं बनाया गया। उसको पुलिस डिस्ट्रिक्ट नहीं बनाया गया। इस कारण वहां के लोग तबाह और बरबाद हो रहे हैं। वहां से स्मगलिंग होती है। वहां पर चाईनिज लोग नेपाली वेषभूषा में आते हैं, और जासूसी करते हैं। वहां पर अच्छे आफिसर को भेजना चाहिये, लेकिन वहां पर अच्छे आफिसर नहीं भेजे जाते हैं। श्री चन्द्रशेखर सिंह ने जो कहा है, उससे मैं सहमत हूं और मैं श्री शर्मा के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। बहुत शोर सुनता था हाथी की दुम का जो देखा, तो गज भर की रस्सी पड़ी थी। इतना कहकर मैं समाप्त करता हूं।

श्री जगदीश प्रसाद चौधरी—सभापति महोदय, समान्य प्रशासन की मांग का समर्थन करते हुए कटौती के प्रस्ताव का मैं विरोध करता हूं। पिछले साल जो राज्य की स्थिति रही है, प्रशासन की जो हालत रही है, वह विषम रही है और हमारे अधिकारियों ने बहुत बहादुरी के साथ मुकाबला किया है। इसके लिये हमारे अधिकारी वर्ग धन्यवाद के पात्र हैं। वे लोग प्रशंसा के पात्र हैं। सभापति महोदय, प्रशासन के मुख्य अंग हमारे मजिस्ट्रेट हैं, जिनका हड़ताल हुआ था। ये हमारे प्रशासन के स्तम्भ हैं। सरकार के सामने ऐसे स्तम्भ के द्वारा यदि किसी तरह की मांग की जाती है, तो उनसे बातचीत करके उसका समाधान निकालना चाहिये। अगर हमारे मजिस्ट्रेट को इसके लिये हड़ताल पर जाना पड़े तो राज्य के प्रशासन के लिये यह दुःखद स्थिति है। जिनके ऊपर प्रशासन का भार है। समाज के हर अंग में मजिस्ट्रेट के बल पर ही कोई काम होता है। लेकिन प्रशासन के कुछ वर्ग हड़ताल के मजबूर होते हैं, तो यह सरकार के लिये बड़ी शर्म की बात है अतः मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि यदि भविष्य में इस तरह की स्थिति आये, चाहे मजिस्ट्रेट हो, चाहे नन गजेटेड कर्मचारी हो,

हरएक वर्ग सरकार का अंग है, जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का समाधान सरकार को निकालना चाहिये और हड़ताल नहीं होना चाहिये। अभी माध्यमिक शिक्षकों की हड़ताल चल रही है। बहुत से शिक्षक जेल में हैं। बात तय है, केवल समय की बात है। मैं शिक्षा मंत्री को आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि इसका कुछ-न-कुछ निवटारा सरकार को कर देना चाहिये, क्योंकि इसका असर हमारे छात्रों पर पड़ रहा है।

अब मैं पंचायत मंत्री का ध्यान पंचायत प्रशासन की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। एक पंचायत सुपरभाइजर श्री राधानन्द चौधरी सहरसा जिला के महिषी प्रखण्ड में पदस्थापित हैं। उनके स्थानान्तरण का आदेश मंत्री महोदय ने पहली बार १९७३ में दिया। १९७४ के मार्च में दूसरी बार आदेश दिया, लेकिन वहाँ के पदाधिकारीगण उनके आदेश को मानने के लिए तैयार नहीं है। १०-१० बार टेलीग्राम दिया गया, लेकिन फिर भी आदेश का पालन नहीं किया गया। मैं इसके मंत्री जी मिला, लेकिन फिर भी, वहां के अधिकारियों ने उनको रिलीभ नहीं किया। यह प्रशासन के लिये शर्म की बात है।

सभापति महोदय, दलसिंह सराय एक ऐसा प्रखण्ड है जहां कि आर०ई०ओ० के अन्दर कोई सड़क नहीं बनायी गयी। अतः आपके माध्यम से मैं सामुदायिक विकास मंत्री से आग्रह करूंगा कि आगे इस प्रखण्ड को प्राथमिकता मिलनी चाहिये।

सभापति महोदय, दलसिंहसराय में एक छत्रधारी सिंह विद्यालय है। वहां की जो प्रबन्ध समिति थी, उसके अधिकार को खत्म कर दिया गया है। जिससे कि उनको शिक्षकों को उचित न्याय देने में कठिनाई हो रही है। वहां के सचिव ने मन-माने ढंग से ७ शिक्षकों को निलम्बन ही नहीं, डिसमिस भी कर दिया। माध्यमिक शिक्षा पर्षद ने उन शिक्षकों को कार्यरत रहने का आदेश दिया। लेकिन वहां के स्थानीय पदाधिकारी उनको कार्यरत नहीं रहने देते हैं। इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव से मैं मिला था। उन्होंने सहानुभूतिपूर्वक हमारी बातों को सुना और कारंवाई की। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मुख्य सचिव के आदेश के बावजूद भी वहां के स्थानीय अधिकारी इस पर कोई कारंवाई नहीं करते हैं और न ध्यान ही दिया। इसतरह सरकार के आदेश की अवहेलना की जाती है। वहां के शिक्षक लो० भूखे भटक रहें हैं, लेकिन उनको वे कार्यरत

किया जा रहा है, और न उनको कई महीने से वेतन मिल रहा है।

सभापति महोदय, पिछले आन्दोलन के समय पुलिस का रोल आमतौर से प्रशंसनीय जरुर है. लेकिन दलसिंगसराय के पुलिस अधिकारी की ओर आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। अक्टूबर १९७४ में मुख्यमंत्री, पुलिस मंत्री, आई०जी० एवं मुख्य सचिव को, सबों को लिखा लेकिन अभीतक वे वहां बरकरार हैं। मीसा के अन्तर्गत पकड़ने का आदेश दिया गया, लेकिन पुलिस अधिकारी के साथ वह बैठकर बातचीत करता है, फिर भी पकडा नहीं जाता है। चिनगिया बांध गत बाढ़ में ध्वंस हो गया था। प्रत्येक वर्ष बाढ़ मे वह दह जाता है। सरकार का १० लाख रूपया खर्च हो जाता है, लेकिन वह बांध ३-४ लाख रू० में बन सकता है। सरकार ऐसा नहीं कर रही है। ट्यूववेल के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि प्राईवेट ट्यूववेल जितने हैं उनके विद्युतीकरण में पक्षपात की नीति अपनाई जाती है। जिसने रुपया जमा कर दिया,उनका विद्युतीकरण नहीं होता है, और जो अधिकारियों को खुश कर पाता है उनके ट्यूववेल के लिये लाईन शीघ्र मिल जाता है।

श्री रामस्वरुप सिंह—सभापति महोदय, श्री रामदेव शर्मा ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसका समर्थन करते हुए मैं कहना चाहता हूं, कि अभी जो पुलिस प्रशासन है उसके सम्बन्ध में विचार करने की आवश्यकता है। हमारे सीतामढ़ी जिला की ऐसी स्थिति है कि हमारे क्षेत्र में पिछले एक साल के अन्दर भू०पू० मुखिया (रेवासी ग्राम पंचायत राज) श्री राजेन्द्र राय की हत्या कर दी गई। अत: ७ ता० को बखरी ग्राम पंचायत राज के एक भूतपूर्व सरपंच श्री सीताराम राय की हत्या कर दी गई। इस तरह की पुलिस हत्याओं को रोकने में पुलिस असमर्थ हैं वह इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाती है। यह क्या हो रहा है चुने हुए मुखिया और सरपंच की हत्या इस तरह से होती है और पुलिस क्यों इसके बारे में मौन रहती है दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमलोगों ने जयप्रकाश बाबू के आन्दोलन को प्रतिक्रियावादी और फासिस्टवादीकरार दिया है किन्तु हमारे इलाके के डुमरा टीचर्स ट्रेनिंग कालेज में जहां २० मार्च १९७४ को ही सी०आर० पी० के जवानों को रख दिया गया लेकिन आजतक उनलोगों को वहां से नहीं हटाया गया है। शिक्षा विभाग ने डी०एम०, चीफ सेक्रेटरी एवं कमिश्नर को लिखा लेकिन शिक्षा मंत्री की बात को डी०एम० और कलक्टर मानने को तैयार नहीं हैं और सी०आर०पी० आज भी वहां मौजूद हैं। यह एक विचारणीय

बात है कि इस तरह से एजुकेशनल इन्स्टीच्यूशन में किस प्रकार व्यवस्था कायम रह सकती है ? डुमरा में आइ०टी०आइ के मकान के लिये १५ हजार रुपया प्रतिवर्ष किराया करीब २० वर्षों से है भूतपूर्व शिक्षा मंत्री श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह को दिया जाता है । आज वहां नारकीय दृश्य उपस्थित है वहां छात्रावास और भोजनालय का प्रबन्ध नहीं है । मैंने श्रम मंत्री श्रीमती रामदुलारी सिंहा का ध्यान बार-बार इस ओर खींचा और विद्यालय को वहां से हटा कर दूसरी जगह ले जाने के लिये कहा । जमीन एक्वायर करके अपना भवन बनवाने के लिये कहा । इसी तरह डुमरा प्रखंड का अपना कार्यालय भवन नहीं है और एक धनी अधिवक्ता के मकान में इसको १९६२ से हीं रखा गया हैं । करीब एक लाख रुपया किराये में सरकार इस अधिवक्ता को दे चुकी है । आश्चर्य की बात हैं कि इस प्रखंड का अपना भवन सरकार आज तक नहीं बनवा सकी जबकि डुमरा में सरकारी जमीन काफी है ।

मुजफ्फरपुर अस्पताल में बी०एम०पी० के जवानों और वहां के लोगों में जो झगड़ा और मार-पीट हुई, वह सभी बातें आपलोगों से छुपी हुई नहीं है । आज समाज में जो भ्रष्टाचार और असंतोष है उसको दक्षिण पंथी प्रतिक्रियावादी एक्सप्लोआयर करती हैं, लेकिन मुख्य रुप से भ्रष्टाचार को रोकना सरकार की जिम्मेदारी है । नालन्दा के जो एस०पी० हैं वह खुलेआम घूस लेते हैं, मेरी मांग है कि इसके बारे में उसकी जांच करायी जाय । आज बहुत बड़ी संख्या में सांख्यिक कर्मचारियों का धरना दारोगा बाबू के मकान पर चल रहा है । इनके नेता श्री नित्यानन्द प्रसाद का स्थानान्तरण कर दिया गया है इसपर विचार करने की जरुरत है । इस स्थानान्तरण को स्थगित कर दें । हमारे क्षेत्र में नलकूप की व्यवस्था की जाय, और बागमति योजना को शिघ्रातिशीघ्र पूरा किया जाय, ताकि बाढ़ से वहां के लोगों की रक्षा हो सके और सिंचाई का इन्तजाम हो सके । बागमती योजना को समय पर पूरा करने के लिए जरूरी है कि सीतामढ़ी जिले में भूमर्जन का कार्य शीघ्र समाप्त किया जाय और इस विभाग में फैले भ्रष्टाचार की आवश्यक जांच की जाय ।

*श्री राम टहल चौधरी— सभापति महोदय, सामान्य प्रशासन की मांग का समर्थन करने लिए मैं खड़ा हुआ हूं । पिछले वर्ष राज्य की जो स्थिति रही और अधिकारियों को जो दिक्कते उठानी पड़ी उसके सम्बन्ध में सभी लोग जानते हैं । गत वर्ष जे० पी० के आन्दोलन को लेकर काफी कठिनाईयां हुई ।

इसके अलावा चोरी-डकैती भी उसी अनुपात में बढ़ी है मैं १९६९ से इस सदन का सदस्य हूं पहले पटना रांची रोड पर कभी भी डकैती नहीं होती थी। लेकिन आज कल पटना रांची रोड में यात्री डकैती के डर से रात में नहीं चलते हैं, और बसें खाली जाती है। हमारे अधिकारियों में अच्छे लोगों की संख्या कम है और चोर डकैत को प्रोटेक्शन देने वालों की संख्या अधिक है। मुझे विश्वास है कि यदि अधिकारीगण ईमानदारी से काम करें तो इस आन्दोलन का असर लोगों पर नहीं पड़ेगा। लेकिन वे अपना कर्तव्य भूल गये हैं और केवल अपना फायदा देखते हैं। गरीब तबके के लोगों की ओर उनका ध्यान नहीं जाता है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। हुन्डरू फौल में कार्यालय अभियंता स्थानीय लोगों के साथ नाजायज हरकत करता है। ४ तारीख को एक पत्र लिखकर मैंने एक आदिवासी लड़के को दिया, जो पेटी कन्ट्रेक्टर का काम करता था कि सम्भव हो तो इस लड़के को काम दिजीए। लेकिन उन्होंने उस पत्र को फाड़ डाला, और कहा कि विधायकों को हम नहीं जानते हैं। लोग आवेश में आ गया और उसने ठीकेदार से मिलकर दो आदिवासी लड़कों पर केस कर दिया है। यह लड़के मजदूरों के हित में लड़ते थे, इसलिये कार्यपालक अभियंता और ठीकेदार उनको फंसाना चाहते हैं। कांके मानसिक आरोग्यशाला के अधीक्षक ने लोकल कर्मचारियों, कलीमउद्दीन खां, खरीफ खां, सोना सिंह तथा तारकेश्वर सिंह और बसुदेव महतो को बिना कारण के मुअत्तल कर दिया है। इनको प्राईवेट प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिये, लेकिन यह करते हैं। हेड जमादार किसी वार्डर को २४ घन्टे की ड्यूटी देता है, तो किसी को छोड देता है। हमारे यहां गेतलसूद डेम १९७२ में बना। इसके चलते चकला गांव के लोगों की सैंकड़ो एकड़ जमीन पानी में डूब गयी है। सिंचाई विभाग तथा कलक्टर ने कहा कि लोगों को मुआवजा दिया जायगा लेकिन आज दो वर्ष हो गये लोगों को एक भी पैसा नहीं मिला है।

जहां तक नौकरी की बात है, छोटानागपुर और रांची के लोगों को वहां बहाल न करके सीधे पटना से बहाल करके वहां भेज दिया जाता है। कारखाने वगैरह के बारे में श्रम मन्त्री ने जोरदार भाषण दिया कि मीनिमम वेजेज हर कारखाने में लागू करने जा रहे हैं। लेकिन अभी भी रांची में बहुत से कारखाने में तथा अन्य जगहों में केवल दो रु० और ढाई रु० मिलता है। सरकार उसको टेक-अप करे और इसमें सुधार किया जाय।

ओरमांझी में आर० ई० ओ० की तरफ से एक इंच भी पक्की सड़क नहीं बनायी गयी है। ओरमांझी से कुन्जू तक ६ मील की सड़क को शीघ्र पक्की की जाय। पिछड़े वर्ग के लड़कों का हमलोगों ने डर से स्टाइपेन्ड नहीं बांटा है, क्योंकि रकम बहुत कम है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि वह अधिक रकम दे, ताकि और अधिक लड़कों को छात्रवृत्ति मिल सके।

*श्री उत्तमलाय यादव — सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपनी क्षेत्र की कुछ समस्याओं की ओर ले जाना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र में मात्र एक ही सड़क है, पदमा, छपकी, लोकहा, लोकहा फुलपरास। यह १९५२ से हो लिया गया है, लेकिन उसका निर्माण अभी तक नहीं हुआ है। टेन्डर तो होता है लेकिन रता नहीं, क्यों इसका काम नहीं होता है। यह पिछड़ा इलाका है। इसलिये जल्द जल्द इस सड़क को बनाने का प्रबन्ध होना चाहिये। इसको बनाना बहुत आवश्यक है क्योंकि लोकहा में रेलवे लाइन चली गयी है, और लोकही से लोकहा जाने में ९ मील की दूरी है। भुतही नदी पर पुल बनाने की आवश्यकता है। इसके अभाव में बरसात तथा अन्य दिनों में आवागमन में बहुत दिक्कत होता है। भुतही बलान के पश्चिम किनारे पर तटबन्ध बन रहा है ताकि पश्चिम की ओर बाढ़ का पानी नहीं जाय। इसके बन जाने से पश्चिम की ओर तो पानी नहीं जायेगा, लेकिन पूरबी क्षेत्र में पानी जायेगा, जहां पहले बाढ़ का पानी नहीं आता था। भुतही बलान के पूरब की ओर एक तटबन्ध का प्रबन्ध होना चाहिये। इसके लिये सरकार निर्णय ले और जल्द इसको बनावें। लोकहा से जयनगर सीमा तक, बहुत से पेड़ लगे हुये हैं, जिसे लोगों ने काट लिया है। इसको बचाने का प्रबन्ध सरकार को करना चाहिये।

आप जानते हैं कि फुलपरास में सबस्टेशन बनाने के लिए जमीन अर्जित की जा चुकी है। लेकिन आज तक बिजली सब-स्टेशन नहीं बन पाया है। इसके कारण वहां बिजली की आपूर्ति नहीं हो रही है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसकी ओर सरकार ध्यान दे और बिजली सब-स्टेशन बनाने की व्यवस्था करे।

श्री फतुरी सिंह—सभापति महोदय, जो मांग सदन में पेश है उसका समर्थन करते हुए लोक निर्माण विभाग के मंत्री का ध्यान सीतामढ़ी जिले की ओर ले

जाना चाहता हूं। ऐसे तो उस जिले के सभी रोड खराब हालत में हैं लेकिन खासकर सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर जाने वाली सड़क की हालत बहुत खराब है। उस सड़क पर जितने भी पुल और पुलिया हैं, सभी खराब हैं। एक भी पुल-पुलियां कारगर नहीं हैं। मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सड़क के २३ वां मील पर थोड़ी सी बाढ़ आने पर भी प्राय: वह डूब जाती है। सरकार २३ वां मील पर ध्यान दे और वहां अच्छी व्यवस्था करे, ताकि आवागमन ठीक रहे।

अब मैं, बिजली मंत्री से कहना चाहता हूं कि हर विभाग पर सरकार का हाथ है, लेकिन ऐसा लगता है कि बिजली विभाग ही सरकार के ऊपर है। क्योंकि वहां कोई भी काम नहीं हो रहा है। गांव-गांव में बिजली चोरी से जलती है, लेकिन सिचाई वगैरह के लिए लोगों को बिजली नहीं मिलती है। मैं कहता हूं कि हर बोरिंग पर सरकार बिजली देने की व्यवस्था करें, जिससे अनाज पैदा हो।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इस राज्य में पाप करे कोई और भोगे दूसरा वाली कहावत चरितार्थ है। सीतामढ़ी जिले से ४० हजार क्विटल चावल लेवी के रूप में लेना है। ३५ हजार क्विटल चावल मिल मालिकों को और ५ हजार क्विटल किसानों को देना है। लेकिन सरकार की गलत नीति के कारण चावल मिल बन्द हो गये और कुल लेवी किसानों से बेरहमी से वसूल किया जा रहा है जिससे वहां के किसान तबाह हो रहे हैं।

श्री जयराम उरांव—सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान सुदूर दक्षिण क्षेत्र चैनपुर की ओर ले जाना चाहता हूं। वह इलाका बिल्कुल उपेक्षित है। हमारे राजस्व मंत्री, श्री केदार पाण्डे आज से दो दिन पहले जब भाषण दे रहे थे, तो मुझे लगा कि सचमुच में हमारे संथाल परगना और छोटानागपुर से जितनी आमदनी होती है, उस अनुपात में वहां विकास का कार्य नहीं होता है। चाहे ब्लॉक का विकास हो, सड़क का विकास हो या और किसी चीज का विकास हो, हमारा क्षेत्र बिल्कुल उपेक्षित है।

मैं सरकार का ध्यान अब अपने क्षेत्र में आवागमन की व्यवस्था की ओर ले जाना चाहता हूं। आपको मालूम होना चाहिये कि जो मैं उस चैनपुर क्षेत्र से आता हूं जहां से परमवीर चक्रवीर का जन्म हुआ है। वहां भी आने-जाने की कोई सुविधा नहीं है। इसलिये मेरा सुझाव है कि चैनपुर जारी-जारी-डुमरी-पुनः चैनपुर-अंरागी-डुमरी पुनः चैनपुर सड़क सरकुलर रोड को बनाया जाय। आर० ई०

ओ० से भी हमारे यहां कोई सड़क नहीं बनी है। एक सड़क चैनपुर-डुमरी ११ मील लम्बी बन रही है, वह भी अधूरी है। आवागमन के सुविधा के लिये चैनपुर-नेवर हाट रोड की भी अपनी एक महत्ता है। सरकार इसे भी बनवावे। अब मैं सरकार का ध्यान अपने क्षेत्र की बिजली की स्थिति की ओर ले जाना चाहता हूं हमारे यहां शंख नदी है, जहां ५० फीट ऊपर एक जलप्रपात स पानी गिरता है। यदि यहां से बिजली निकालने का प्रबन्ध हो जाय, तो इससे काफी बिजली पैदा की जा सकती है लेकिन इस ओर भी सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है। हमारे से ज्यादा यहां लिफ्ट इरीगेशन की व्यवस्था ज्यादा होनी चाहिए, जिससे सिंचाई का प्रबंध हो सके। हमारे क्षेत्र में चार ब्लौक है, चैनपुर, डुमरी, रायडीह और पालकोट लेकिन किसी भी ब्लौक में बिजली नहीं लगायी गयी है। लेवी का चावल खरीदने के लिये १९ दिसम्बर १९८४ का बी०डी०ओ०न स्कूल इंसपेक्टर को दिनांक १९ दिसम्बर १९७३ को सात हजार रूपया दिया, लेकिन इससे लेवी चावल खरीदा गया या नहीं पता नहीं चलता है। अगर खरीदा गया तो प्रखण्ड में कहां रखा गया है? यदि नहीं खरीदा गया तो क्या रूपया वापस किया गया?

सभापति (श्री राधानन्दन झा)—शांति, शांति। आप अब बैठ जायं।

निवेदनों के सम्बन्ध में सूचना:

जो निवेदन है, उन्हें सम्बन्धित विभाग में भेज दिया जायगा।

सभा सोमवार दिनांक १७ मार्च, १९७५ के ९ बजे पूर्वाह्न तक के लिये स्थगित की गई।

पटना:
तिथि १५ मार्च १९७५ ई०।

विश्वनाथ मिश्र,
सचिव,
बिहार विधान सभा।

दैनिक निबन्ध

(शनिवार, दिनांक १५ मार्च, १९७५)

पृष्ठ

लोकायुक्त के प्रतिवेदन पर विचार-विमर्श के सम्बन्ध में नियमापत्ति : श्री अम्बिका सिंह, स०वि०स० ने लोकायुक्त के प्रतिवेदन पर विचार-विमर्श के सम्बन्ध में नियमापत्ति सदन में उठायी जिसे उपाध्यक्ष महोदय ने अस्वीकृत किया — १—३

सामान्य लोकहित के विषय पर विमर्श : श्री चन्द्रशेखर सिंह सभा-सदस्य ने प्रस्ताव किया कि " यह सदन बिहार लोकायुक्त अधिनियम, १९७४ की धारा १२ (६) के अधीन प्रस्तुत १९७३ के प्रतिवेदन पर विचार विमर्श करे।" — ३—९

उक्त विषय पर विचार-विमर्श में निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया : (१) श्री चन्द्रशेखर सिंह, (२) श्री राधानन्दन झा, (३) श्री भोला प्रसाद सिंह (४) श्री कामदेव प्रसाद सिंह, (५) श्री जर्नादन तिवारी, (६) श्री प्रभुनाथ सिंह, (७) श्री त्रिवेणी प्रसाद सिंह, (८) श्री राजमंगल मिश्र, (९) श्री चतुरानन मिश्र तथा (१०) श्रीमती ज्यूला दोजा।

मुख्यमंत्री, श्री अब्दुल गफूर के सरकारी उत्तर के उपरान्त विचार विमर्श समाप्त हुआ।

उपाध्यक्षीय नियमन : श्री जर्नादन तिवारी, स०वि०स० एवं श्रीमती सुनैना शर्मा, स०वि०स० द्वारा लोकायुक्त के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न पर उपाध्यक्ष महोदय ने नियमन दिया। — ९—१०

चर्चाएँ :

पृष्ठ

(क) गया जिलान्तर्गत सिंधिया ग्राम के एक हरिजन की हत्या : श्री रामस्वरुप राम, स०वि०स० ने गया जिलान्तर्गत कुर्था थाना के सिंधिया ग्राम के एक हरिजन की हत्या से सम्बन्धित जांच कराने के लिये सदन में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। ३०—३१

(ख) एक नेपाली कांग्रेसी नेता को बिहार में आने पर रोक : श्री भोला प्रसाद सिंह, स०वि०स० ने एक कांग्रेसी नेता श्री कोईराला को पूर्णियां आरक्षी अधीक्षक द्वारा बिहार में आने पर रोक लगाने से सम्बन्धित चर्चा सदन में उठायी। ३१—३२

अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय पर ध्यानाकर्षण एवं उनपर सरकारी वक्तव्य।

(१) श्री चतुरानन मिश्र, सभा सदस्य ने, मधुबनी जिलांतर्गत किसानों को ऊख के बकाये के भुगतान की व्यवस्था करने के संबंध में सरकार (ईख विभाग) का ध्यान आकृष्ट किया। प्रभारी मंत्री, श्री चन्द्रशेखर सिंह ने इस पर सरकार की ओर से वक्तव्य दिया। ३२—३६

(२) लोक स्वास्थ्य अभियंत्रणा विभाग से सम्बन्धित सर्वश्री राजेन्द्र नाथ दां एवं नन्दकिशोर सिंह का ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकारी वक्तव्य तिथि १८ मार्च, १९७५ के लिये स्थगित किया गया। ३६—४१

(३) श्री जय प्रकाश मिश्र एवं अन्य चार सभा-सदस्यों ने कृषि विभाग के भूतपूर्व तम्बाकू विकास पदाधिकारी, श्री एस०एफ० वारो के विरुद्ध कारंवाई करने के सम्बन्ध में सरकार (कृषि विभाग का ध्यान आकृष्ट किया। प्रभारी-मंत्री, श्री जगन्नाथ मिश्र ने इस पर सरकार की ओर से वक्तव्य किया। किन्तु सरकारी वक्तव्य पर सदन की प्रतिक्रिया देखते हुए, उपाध्यक्ष महोदयने वस्तुस्थिति की जाँच कर प्रतिवेदन हेतु सदन की समिति के गठित करने की घोषणा

को तथा समिति के सदस्यों के नामों का मनोनयन अध्यक्ष पृष्ठ
एवं मुख्य मंत्री, के परामर्श से करने को सूचना दी।

आय-व्ययक : १९७५-७६ वर्ष के वार्षिक आय-व्ययक के अनुदानों को ४१—४६
मांगोंपर मतदान: मंत्री-परिषद् निर्वाचन,सचिवालय एवं जिला प्रशासन:

संसदीय कार्य मंत्री, श्री चन्द्रशेखर सिंह ने "मंत्री-परिषद् निर्वाचन, सचिवालय एवं जिला प्रशासन" के सम्बन्ध में मांग पेश की तथा इस संदर्भ में प्रारम्भिक वक्तव्य दिया।

श्री रामदेव शर्मा, सभा सदस्य, ने राज्य सरकार के सामान्य ४६—५६
प्रशासन पर विचार विमर्श करने के लिये कटौती-प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

उक्त विषयक मांग एवं इसके अन्तर्गत प्रस्तुत कटौती-प्रस्ताव पर ६०—८१
वाद-विवाद में निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया :—

(१) श्री रामदेव शर्मा,
(२) श्री घनश्याम सिंह,
(३) श्री कुमार कालिका सिंह,
(४) श्री नागेश्वर हजरा,
(५) रामदेव सिंह,
(६) श्री बैद्यनाथ दास,
(७) श्रीमती राजपति देवी,
(८) श्री रामेश्वर पासवान,
(९) श्री रामजी प्रसाद सिंह,
(१०) श्री मदन बेसरा,
(११) श्री आजम,
(१२) श्री जगदीश प्रसाद चौधरी,
(१३) श्री रामस्वरूप सिंह,
(१४) श्री रामटहल चौधरी,

(१५) श्री उत्तम लाल यादव,

(१६) श्री फतुरी सिंह, तथा

(१७) श्री जयराम उरांव।

वाद-विवाद सोमवार, तिथि १७ मार्च, १९७५ के लिये जारी रहा। ८१

निवेदनों के सम्बन्ध में सूचना :

सभापति, श्री राधानन्दन झा ने सदन को सूचना दी कि सभा की सहमति से आज के लिये स्वीकृत दो निवेदन उचित कार्रवाई हेतु संबंधित विभागों में भेज दिये जायेंगे।

बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम २९५ एवं २९६ के अनुसरण में बिहार विधान-सभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित एवं सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा श्री कृष्णा प्रेस, पटना-८ में मुद्रित।